

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)****यूआईडी संख्या : UPFS/2025/144422/KPN/KANPUR NAGAR/3889/CFO****दिनांक : 28-01-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **JUGAL DEVI SARASWATI VIDYA MANDIR** पता **PLOT NO-4 BLOCK WEST OBLIQ 1, SCHEME NO-XXVI, OLD KANPUR** तहसील - **SADAR** प्लाट एरिया **3924.75 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **4943.59** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BLOCK	4	0	14.87 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **JUGAL DEVI SARASWATI VIDYA MANDIR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **01-02-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **HARIPRASAD SHARMA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **02-02-2025** से **02-02-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **JUGAL DEVI SARASWATI VIDYA MANDIR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **JUGAL DEVI SARASWATI VIDYA MANDIR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : Constructed&Operational before 2005,NOC Is issued as per G.O. on dated 07.01.2022&DGFS Circular on 14.03.24 for (G+3) FLOORS ONLY as per the Physical Site Inspection & Verification with Recommendations of FSSO K-2: 1.To Comply for Electrical Safety Audit as per F&ES Rules 2024 and send the Compliance to Fire Department earliest. 2.To Provide One More Stairs of width 1.50 Meter from Second to Third Floor upto Terrace. 3.To Comply for Bye Laws as per COMPETENT AUTHORITY Approval & The Drawing Approval is Mandatory from COMPETENT AUTHORITY. 4.Issued NOC will be Cancelled In case of any deviation In above Conditions or any Violation in norms of COMPETENT AUTHORITY.



निर्गत किये जाने का दिनांक : 02-02-2025
स्थान : KANPUR NAGAR

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DEEPAK SHARMA

D294717EEDD2F2586BB248D5D6D9135AD528C0BF

02-02-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.